आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही
	जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज। **अधिहरण वाद संख्या– 08 / 2013–14** राज्य सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज –बनाम– रामनारायण मंडल वगै0 **–: आदेश :–**	
26.02.2021	प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 2731/अप0शा0, दिनांक 24.11.2016 द्वारा राजमहल थाना कांड संख्या 72/2016, दिनांक 16.05.2016 से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6(ए) के अन्तर्गत जप्त बिना रजिस्ट्रेशन के टैम्पू पर 10 (दस) बोरा में लगभग 5.00 क्वीं0 चावल चावल को राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजमहल को आदेश दिया गया कि जप्त चावल नियमानुसार बिक्री कर बिक्री मूल्य जिला नजारत में जमा करें तथा विपक्षीगण को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– श्री रविशंकर वर्मा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिककारी, राजमहल के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त श्री रामनारायण मंडल, जन वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत सैदपुर, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज के विरूद्ध जन वितरण का चावल को कालाबाजारी करने के आरोप में अंकित किया गया है। दिनांक 16.05.2016 दूरभाष के माध्यम से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजमहल को सूचना मिली कि श्री रामनारायण मंडल, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा राशन के चावल को कालाबाजरी करते हुए ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है, जिसे राजमहल थाना प्रभारी द्वारा जप्त कर थाना में सुरक्षित रखा गया है। सूचना के आधार पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजमहल द्वारा जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पाया कि एक बिना रजिस्ट्रेशन के टैम्पू पर 10 बोरा में प्रति बोरा लगभग 50 किलोग्राम चावल लदा हुआ है, जो पुर्णतः मशीन सिलाई किया हुआ है। तत्पश्चात राजमहल थाना के सहायक अवर निरीक्षक एवं पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर जाँच हेतु गये एवं टैम्पू के मालिक–सह–चालक श्री गोपाल साहा से पूछताछ कर बयान लिया गया, जिसने बताया कि जप्त चावल श्री रामनारायण मंडल, जन वितरण प्रणाली विक्रेता का है, जिसके आधार राजमहल थाना कांड संख्या 72/2016 दिनांक 16.05.2016 दर्ज करते हुए 1. श्री रामनारायण मंडल, जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं 2. जप्त टैम्पू के मालिक गोपाल साहा, पिता–स्व0 रघु साव, सा0–कन्हैया स्थान, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षीगण उपस्थित हुए। कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 25/आ0, दिनांक 04.03.2017 से उक्त थाना कांड में जप्त 10 बोरा में लगभग 5.00 क्वींटल चावल बिक्री राशि जमा संबंधी नाजीर रसीद जिल्द संख्या 2622 दिनांक 03.03.2017 की छाया प्रति के साथ प्रतिवेदन प्राप्त।	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश ...र की गई कार्यवाही
	अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजमहल थाना कांड संख्या 72/2016 दिनांक 16.05.2016 में जप्त 10 बोरा में लगभग 05.00 क्वींटल चावल श्री रामनारायण मंडल, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा कालाबाजारी किया जा रहा था, जिसे 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6(ए) के अन्तर्गत चावल एवं टैम्पू सहित राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि नाजीर रसीद जिल्द संख्या 2622 दिनांक 03.03.2017 से जमा राशि को उचित शीर्ष में जमा करें। जिला पहरिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को टैम्पू नीलाम करने हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज। जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज।	

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2023.07.19 17:05:38 +05:30
Location: 192.168.29.219